

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 246/22

तारीख दायर 16.6.2022

दिलीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति लसोड उम्र वयस्क निवासी कांसया तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाबुलाल पुत्र गणेशलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. युगलकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलिया
जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कैलाशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
(राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :-

दिनांक 16.6.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 379/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 379/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 246/22

तारीख दायर 16.6.2022

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 246 / 2022 पत्थरगढ़ी बाबत।

दिलीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति लसोड उम्र वयस्क निवासी कांसया तहसील
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पुत्र गोपीराम जाति सुनार उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाबुलाल पुत्र गणेशलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. युगलकिशोर पुत्र प्रभूलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. कैलाशचन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम किशनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 63 पर अंकित आराजी संख्या 379/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा